भारत स्काउट एवं गाइड, मध्यप्रदेश राज्य मुख्यालय
शांति मार्ग, श्यामला हिल्स, भोपाल

Phone ✆: 2661263,2737446 Fax: 2737446
Website:www.bsgmp.net E_mail:scoutguide_bpl@dataone.in

पत्र0क0/4529/रा0मु0/ /2010 **भोपाल, दिनांक.04.11.10**

प्रति,

श्री-----------------
जिला संगठन आयुक्त स्का0/गा0
जिला----------

विषयः- **जिला संगठन आयुक्त के दायित्वों का निर्वहन करने एवं सौपे गये वार्षिक दायित्वों को समय सीमा में पूर्ण करने विषयक।**

--00--

आप भारत स्काउट एवं गाइड में राज्य मुख्यालय एवं स्काउट/गाइड इकाईयों के मध्य महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्यरत हैं तथा जिला संघ में राज्य मुख्यालय के प्रतिनिधि एवं स्काउट एवं गाइड गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु पूर्णकालीन संगठन अधिकारी के रूप में पदस्थ हैं भारत स्काउट एवं गाइड द्वारा निर्धारित **कार्य विवरणिका (Job Profile)** अनुसार जिला स्तर पर आपकी निम्न भूमिका निर्धारित हैंः-

01. प्रशासनिक, संगठन, प्रशिक्षण के कार्यो में जिला स्तर के अयोजन करना एवं कराना।
02. स्काउट/गाठड कार्यकम आयोजित करने एवं यूनिट, स्थानीय जिला संघ के बीच समन्वयन का कार्य करना।
03. वयस्क प्रशिक्षण कार्यक्रम को जिले में आयोजित करना।
04. जिला स्तर पर भंडार कक्ष संचालित करना तथा पत्रिका की सदस्य संख्या में वृद्धि करना।
05. भारत स्काउट एवं गाइड आन्दोलन को जनआन्दोलन बनाना।

2- <u>कार्य विवरणिका के अनुसार आपके निम्न दायित्व निर्धारित हैंः-</u>

01. राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय एवं जिला स्तर के लक्ष्यों एवं प्रगति के लक्ष्यों को प्राप्त करना।
02. दैनिक प्रशासनिक और सचिवालयीन कार्यो में जिला सचिव को सहयोग देना।
03. अभिलेखों का संधारण एवं आवश्यक प्रतिवेदन भेजना।
04. वार्षिक प्रतिवेदन एवं गणना की तैयारी कर प्रेषित करना।
05. जिला स्तर पर भंडार कक्ष संचालित करना।
06. जिला संघ संबंधित पत्र व्यवहार एवं परिपत्रों के प्रसारण के संबंध में उत्तरदायी होना।
07. जिला संघ और विकासखंड संघ के मध्य समन्वय स्थापित करना।
08. कार्यक्रम व गतिविधियों की तैयारी उनका क्रियान्वयन करना व संगठन का विस्तार करने के लिये राष्ट्रीय लक्ष्यों और राज्य की प्राथमिकता को प्राप्त करने हेतु कार्य करना।
09. जिला स्तरीय रैली, सेमीनार, वर्कशाप कान्फ्रेंस तथा स्काउट/गाइड कब/बुलबुल रोवर/रेंजर क्रियाकलाप का संचालन करना अथवा संचालन करने में सहयोग करना।
10. सभी स्थानीय ग्रुपों की वर्ष में एक बार अवश्य विजिट करना।
11. बैज कमेटी प्रशिक्षक बैज परीक्षा व बैज सचिव की सूची तैयार करना।
12. जिला मुख्यालय पर एक दल संचालित करना।
13. राज्य मुख्यालय एवं संभागीय मुख्यालय द्वारा जारी निर्देशों का समय सीमा में पालन एवं क्रियान्वयन करना।

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

3– कार्य विवरणिका के अनुसार भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश द्वारा वार्षिक योजना तैयार की जाती है। जिसमें जिला संगठ्न आयुक्त को निम्नानुसार कार्य संपादित करने आवश्यक हैं:–

(1) **युवा कार्यक्रम** :–

01. बैज कमेटी का माह अगस्त 10 तक गठ्न करना तथा बैज परीक्षकों की नियुक्ति कर परीक्षण कार्य सम्पन्न करना।
02. बैज कमेटी की बैठक प्रति 3 माह में आयोजित करना।
03. ब्लॉक स्तर पर प्रत्येक विभाग में एक–एक आदर्श इकाई का गठ्न कर माह सितंबर 10 तक उनका पंजीयन व संचालन करना।
04. थ्जलें में कम से कम 24 कब, 12 बुलबुल को द्वितीय चरण/रजत पंख उत्तीर्ण कराकर तृतीय चरण हेतु भेजना।
05. जिलें में कम से कम 12 कब, 6 बुलबुल को माह सितम्बर 10 तक तृतीय चरण/स्वर्ण पंखा पूर्ण कराना।
06. जिलें में माह दिसंबर 10 तक कम से कम 6 कब, 4 बुलबुल को चतुर्थ चरण हीरक पंख स्तर तक पहुंचाना।
07. जिले चतुर्थ चरण हीरक पंख कब/बुलबुल में से कम से कम 50 प्रतिशत कब/बुलबुल को माह जनवरी 2010 तक गोल्डन ऐरो अवार्ड पहुंचाना।
08. जिले में कम से कम 64 स्काउट एवं 32 गाइड को द्वितीय सोपान जांच शिविर में शामिल कराना।
09. जिलें में माह नवम्बर 2010 तक कम से कम 32 स्काउट, 16 गाइड को तृतीय सोपान तक पहुंचाना।
10. जिले से तृतीय सोपान में से माह अगस्त 10 तक कम से कम 16 स्काउट, 8 गाइड को राज्य पुरस्कार तक पहुंचाना।
11. जिलें के राज्य पुरस्कार प्राप्त स्काउट/गाइड में से कम से कम 50 प्रतिशत स्काउट गाइड को माह सितम्बर 10 तक राष्ट्रपति अवार्ड तक पहुंचाना।
12. जिले में 4 रोवर एवं 2 रेंजर को प्रवीण जांच शिविर में शमिल कराना। जिलें में माह नवंबर 10 तक कम से कम 2 रोवर, 2 रेंजर को निपुण स्तर तक पहुंचाना।
13. निपुण/रोवर रेंजर में से कम से कम 50 प्रतिशत रोवर/रेंजर को राष्ट्रपति अवार्ड तक पहुचाना।
14. जिलें से माह माह जून 10 तक कम से कम 2 स्काउट, 2 गाइड दलों का प्रधानमंत्री शील्ड प्रतियोगिता पंजीयन करवाना।
15. जिले से माह जून 10 तक कम से कम 2 रोवर, 2 रेंजर दलों का उप राष्ट्रपति अवार्ड प्रतियोंगिता हेतु पंजीयन करवाना। गत वर्ष के पंजीकृत दलों में कार्य पूर्ण कराकर माह अगस्त 10 तक लाग बुक राज्य मुख्यालय प्रेषित करना।
16. जिले में एक गांव गोद लेना व सेवा कार्य करवाना।
17. प्रत्येंक जिला संघ स्तर पर सामुदायिक विकास समिति का गठ्न करना एवं कम से कम एक प्रोजेक्ट तैयार कर क्रियान्वित करवाना।
18. जिला संघ स्तर पर माह अक्टूबंर 10 तक कुष्ठ निवारण/अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण हेतु चेतना रैली–परीक्षण शिविर, निबंध, चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन करना।
19. जिले से वर्ष के अंत तक कम से कम 25 युवाओं की साहसिक काय्रक्रमों की भागीदारी सुनिश्चित हैं।
20. जिला संघ में माह सितंबर 10 तक योजना उप समिति की बैठक व आगामी सत्र की योजना तैयार कर राज्य मुख्यालय में प्रेषित करना।

(2) **संख्यात्मक वृद्धि** :–

01. वर्ष 2009–10 की गणना को आधार मानकर स्काउट/गाइड, कब/बुलबुल दलों में 10 प्रतिशत की वृद्धि माह सितम्बर 10 तक कराना।
02. रोवर/रेंजर दलों में वर्तमान गणना से 20 प्रतिशत की वृद्धि सितम्बर 10 तक करना।
03. जिलें के अपंजीकृत उ.मा. विद्यालय व हाई स्कूलों में से 50 प्रतिशत विद्यालयों में से दल गठ्न माह दिसम्बर 10 तक कराना।

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

04. जिलें में कम से कम एक स्वतंत्र नवीन स्काउट/गाइड दल का माह सितम्बर 10 तक गठित कर पंजीकृत कराना।

05. जिला स्तर पर कम से कम 1 नवीन ग्रामीण रोवर/रेंजर दल का गठन सितम्बर 10 तक पंजीकृत करवाना।

06. जिला स्तर पर एक –रोवर क्लब का माह सितम्बर 10 तक गठन कर पंजीकृत कराना।

(3) <u>वित्तीय संसाधन विकास</u> :–

01. जिला स्तर पर आय–व्यय हेतु बजठ का निमार्ण करना एवं बजट के आधार पर व्यय करना।

02. जिला व क्षेत्र में योजना समिति का गठन कर माह अक्टूंबर 10 तक बैठ्क का आयोजन करना।

03. वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने हेतु सदस्यता अभियान फाउन्डेशन की सदस्यता फण्ड रेंजिंग सप्ताह, ध्वज दिवस, उद्योग पर्व, अभिरूचि केन्द्र आदि का आयोजन कर आय के स्त्रोत बढ़ाना।

(4) <u>प्रबंध प्रणाली विकास</u> :–

01. अप्रशिक्षित जिला कमिश्नर्स में से 25 प्रतिशत जिला कमिश्नर्स को प्रशिक्षित कराना।

02. प्रत्येक ब्लॉक पर सहायक जिला कमिश्नर की नियुक्ति कर कम से कम 50 प्रतिशत को कमिश्नर प्रशिक्षण पूर्ण कराना।

03. जिला व ब्लाक संघ का निर्वाचन नहीं हुआ हैं उनके निर्वाचन दिसम्बर 10 तक पूर्ण कराकर संबद्धता प्राप्त करना।

04. जिले की जिला विवरणिका माह दिसम्बर 10 तक पूर्तिकर राज्य मुख्यालय प्रेषित करना।

05. जिला स्तर पर स्काउटर/गाइडर साहित्य व सामग्री उपलब्ध हो इस हेतु भंडार कक्ष की व्यवस्था करना।

06. समस्त पदों पर कार्य कर रहे स्काउटर/गाइडर व कमिश्नर्स को माह दिसम्बर 10 तक अधिकार पत्र (वारंट) उपलब्ध कराना।

(5) <u>जनसम्पर्क का प्रचार–प्रसार</u> :–

01. वर्ष में कम से कम एक बार विकास खण्ड तथा ग्रामीण क्षेत्र के दलों की विजिट कर उन्हें मार्गदर्शन व प्रोत्साहित कराना।

02. प्रत्येक माह जिला में आयोजित, संयोजित, संचालित गतिविधियां, कार्यक्रमों, सेवा शिविरों, उपलब्धियों का प्रतिवेदन राज्य मुख्यालय भेजना तथा कार्यक्रमों, स्थानीय समाचार–पत्रों, दूरदर्शन, आकाशवाणी पर प्रसारण सुनिश्चित करना।

03. जिलें में मासिक पत्रिका "बालचर रवि" के कम से कम 10 आजीवन तथा 100 वार्षिक सदस्य बनाना।

04. वर्ष में कम से कम 50 दलों से भेंट तथा कम से कम 2 बार अपने क्षेत्र के विकास खण्डों को सम्पर्क व भेंट करना।

(6) <u>वयस्क संसाधन</u> :–

01. ऐसे पंजीकृत दल जिनमें प्रशिक्षित यूनिट लीडर नही है। उनके लिये सामान्य सूचना शिविर आयोजित कराना एवं उनमें से 50 प्रतिशत दलों के यूनिट लीडर को प्रशिक्षत कराना।

02. प्रत्येक जिलें में 32 स्काउट मास्टर केप्टिन एवं 15 कब मास्टर, 2 रोवर लीडर, 12 गाइड केप्टिन, 5 फ्लॉक लीडर व 1 रेंजर लीडर को माह सितम्बर 10 तक प्रशिक्षण दिलवाना।

03. जिलें में संचालित दलों के बेसिक प्रशिक्षण शिविर प्राप्त में से 5 स्काउट मास्टर, 5 कब मास्टर, 1 रोवर लीडर, 2 गाइड केप्टिन, 2 फ्लॉक लीडर, 1 रेंजर लीडर को माह अक्टूबंर 10 तक एडवांस प्रशिक्षित कराना।

04. एडवांस प्रशिक्षण प्राप्त में से 50 प्रतिशत स्काउटर्स/गाइडर्स को माह नवम्बर 10 तक हिमालय वुड बैज तक प्रशिक्षित कराना।

05. पूर्व राष्ट्रपति स्काउट/गाइड को संस्था से सक्रिय सदस्य बनाकर उनकी सेवाओं का लाभ लेना ऐसे सदस्यों की वर्तमान पते सहित सूची राज्य मुख्यालय को भेजना।

4– उपरोक्त कार्य विवरणिका एवं वार्षिक योजना में जिला संगठन आयुक्तों को सौपे गये दायित्व बहुत महत्वपूर्ण एवं स्काउट आंदोलन हेतु संवेदनशील कड़ी हैं। **<u>आप उक्त दायित्वों को निर्वहन सजकता से</u>**

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

करें एवं प्रतिमाह किये गये कार्यो एवं उपलब्धियों का प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। प्रतिवेदन के साथ रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेज आवश्यक हैं।

5– आपको वार्षिक कार्य योजना में शामिल कार्यो में से कुछ महत्वपूर्ण कार्यो को राज्य कार्यकारिणी द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार विशेष कर 6 कार्यो को प्राथमिकता के आधार पर सम्पादित करना हैं। इन कार्यो को आपकी ग्रेडिंग में भी शामिल किया जावेगा। जो निम्नानुसार हैं :–

01. **दलो को गोद लेना :–** प्रत्येक डी.ओ.सी. अपने जिलें में कब/बुलबुल स्काउट/गाठड एवं रोवर/रेंजर के 6 दल **जिला मुख्यालय** पर एवं **एक या दो दल प्रत्येक विकास खंड स्तर पर गोद लेंगें** इस प्रकार जिलें में **कम से कम 20 दल गोद लिये जायेगे** एवं प्रत्येंक दल कि सघन अनुश्रवण की जिम्मेदारी जिला स्तरीय पदाधिकारी को लिखित में सौंपी जावे। आप इन दलों का भ्रमण प्रतिमाह अनिवार्य रूप से करेगें साथ ही ए.एस.ओ.सी. तथा अन्य पदाधिकारी भी भ्रमण कर इन दलों को सहयोग प्रदान कर मार्गदर्शन करेगें। इसके अतिरिक्त 50 अन्य दलों की सूची भी उपलब्ध करायें जिनका भ्रमण वर्ष में आपके द्वारा अनिवार्य रूप से किया जावें।

02. **एडवांसमेंट :–** प्रत्येंक जिलें से **चतुर्थ चरण कब 12, हीरक पंख 6 बुलबुल तृतीय सोपान स्काउट 32, एवं गाइड 16 राज्य पुरस्कार, स्काउट 16 गाइड, 08 राष्ट्रपति पुरस्कार स्काउट 8 गाइड 4 कराया जाना** अनिवार्य हैं।

03. **वयस्क प्रशिक्षण :–** प्रत्येक जिलें में 200 शिक्षकों का जी.आई. कोर्स, 100 शिक्षकों को बेसिक प्रशिक्षण, 50 एडवांस प्रशिक्षण में शामिल कराना अनिवार्य होगा।

04. **भण्डार :–** प्रति जिलें में कम से कम 1 लाख की स्काउट/गाइड सामग्री का विक्रय अनिवार्य हैं। बाहरी दुकानों से किसी भी प्रकार की सामग्री क्रय करना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। **प्रत्येक जिलों** में स्काउट/गाइड शॉप का संचालन कराया जाना अनिवार्य होगा।

05. **पत्रिका :–** इसमें प्रति जिले से 20 आजीवन सदस्य एवं 200 वार्षिक सदस्य अनिवार्य होगें साथ ही साथ प्रति वर्ष पत्रिका हेतु 5000=00 रूपयें का विज्ञापन जिले से भिजवाना अनिवार्य होगा।

06. **लंबित पंजीयन का भिजवाना :–** आपके जिले के जिला संघ/स्कूलों में लंबित विगत 5 वर्षो की लंबित पंजीयन राशि का हिसाब बनाकर राशि सहित राज्य मुख्यालय भिजवाना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त बिन्दुओं की प्रगति से प्रतिमाह लिखित में अवगत करायें आपके कार्यो के आधार पर भविष्य में संविदा वृद्धि संभव होगी।

राज्य सचिव
भारत स्काउट एवं गाइड, मध्यप्रदेश

पृ0क0/4530 /रा0मु0/ /2010 **भोपाल, दिनांक 04.11.10**

प्रतिलिपिः–

1. संयुक्त संचालक शिक्षा/संभागीय उपायुक्त आदिवासी विकास------------------- की ओर भेजकर अनुरोध है, कि कृपया आप अपने स्तर से विभाग के जिला अधिकारियों को निर्देशित करें।

2. समस्त सहायक राज्य संगठन आयुक्त (स्काउट/गाइड)---------------------- की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता हैं कि जिले की परफॉरमेंस के आधार पर ही आपकी ग्रडिंग होगी आप प्रत्येक जिले में कार्यो हेतु एक व्यक्ति चिन्हित कर लक्ष्यों की पूर्वि करावें। अन्यथा आपकों उत्तरदायी माना जावेंगा।

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

3. जिला शिक्षा अधिकारी/पदेन जिला कमिश्नर स्काउट---------------------- की ओर भेजकर अनुरोध हैं, कि उपरोक्त बिन्दुओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।

4. सहायक आयुक्त आदिवासी विकास पदेन जिला कमिश्नर स्काउट------------------- की ओर भेजकर अनुरोध हैं, कि उपरोक्त बिन्दुओं का चयन सुनिश्चित किया करें।

राज्य सचिव
भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com